राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.comand jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमाकः–एफ24(NOC21-22)/बी.एड / आकाशि / 2021 / 561 दिनांकः– 11.11.2021

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश दिनांक 20.01.2021 के अनुसरण में बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2021–22 के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तो के अधीन एतद्द्वारा जारी किया जाता है:–

नोटः–याचिका संख्या 7423/2021 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 28.10. 2021 की पालना में संस्था उजास कॉलेज ऑफ एजूकेशन, गंवार ब्राह्मणान, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर को बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (चार वर्षीय एकीकृत) कार्यक्रम में 100 सीट हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आदेशानुसार संस्था उजास कॉलेज ऑफ एजूकेशन,जयपुर 6 माह में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण आदेश एवं पट्टा अप्रार्थी संख्या 02–आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर को प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संस्था अप्रार्थी संख्या 01–मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार को राशि रूपये 50,00,000/– जमा करवायेगी ।

क्रसं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमाकं व दिनाकं	सीट संख्या	सहशिक्षा / महिला
1	**Ujas College of Education,** Plot No./Khasra No. 601, 602, 603,Village-Ganwar Brahmanan, Tehsil-Sanganer, Jaipur-303905	B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed (4 Year Integrated)	WRC/RJ/NRCAPP - 10772/324th / 2020 / 213516 Dated 20-01-21	(2 Unit) 50 Students each	सहशिक्षा

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2021 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकती है।
5. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय /विश्वविद्यालय द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय /विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन /सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
   1–एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   2– राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   3–अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   4–संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव,उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।